प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका सं. 4819/1996

याचिकाकर्ता डॉ शिव नारायण मिश्रा

विरूद्ध

उत्तरदाता डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति

द्वारा अध्यक्ष, चित्रगुप्त मार्ग,

नई दिल्ली व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनाँक 21 मार्च 2007 को सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित/-
श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका सं. 4819/1996

याचिकाकर्ता

डॉ शिव नारायण मिश्रा
आयु लगभग 37 वर्ष,
आत्मज श्री पंडित जीवन प्रसाद मिश्र
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक,
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल बसंत विहार,
एस.ई.सी.एल. बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरदाता

1. डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति
   द्वारा अध्यक्ष, चित्रगुप्त मार्ग,
   नई दिल्ली व अन्य
2. क्षेत्रीय निदेशक,
   डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल,
   मध्य प्रदेश अंचल भिलाई
   जिला दुर्ग
3. प्रधानाचार्य डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल,
   वसंत विहार, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर
4. महाप्रबंधक,
   साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड,
   मुख्यालय बिलासपुर स्थानीय के प्रबंध

समिति के अध्यक्ष के रूप में,

डीएवी पब्लिक स्कूल,

वसंत विहार एसईसीएल,

बिलासपुर - 495006

एकलपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित : डॉ. शिव नारायण मिश्रा, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता, उत्तरदाता क्र. 1 से 3 के लिए।

श्री पी.एस.कोशी, उत्तरदाता क्र. 4 के लिए अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(दिनाँक 21 मार्च 2007 को पारित)

1. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.2.96 (पी/9) की वैधता और विधिमान्यता को प्रश्नगत किया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर बी.एड डिग्री प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया था, ऐसा करने में असफल होने पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी जाती। दिनांक 26.2.96 (पी/10) के आदेश के तहत, बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर, याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति को परिवीक्षा से तदर्थ में परिवर्तित कर दिया गया और दिनांक 30 अप्रैल 96 से पहले बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र और स्थापना नियमावली (पी/15) प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तरदातागण को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचिकाकर्ता को बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य न

करें और इसके अतिरिक्त यह कि, याचिकाकर्ता को सभी लाभों के साथ नियमित वेतनमान आधिकारिक आवास के आवंटन के सहित प्रदत्त किया जाए ।

2. संक्षेप में, निर्विवादित तथ्य यह है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और दिनांक 1.7.92 (पी/7) को नियुक्ति के लिए चयनित हो गया। याचिकाकर्ता को, नियुक्ति पत्र में कण्डिका 22 के तहत, कार्यभार ग्रहण करने के दो सप्ताह के भीतर एम.ए., बी.ए., बी.एड. और मैट्रिकुलेशन मूल प्रमाणपत्र छायाप्रतियों सहित जमा करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां भी जमा करनी थीं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर थी। याचिकाकर्ता कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद बी.एड. की डिग्री प्राप्त करने में असफल रहा। अंततः आदेश दिनांक 26.2.96 (पी/10) के द्वारा, याचिकाकर्ता की सेवाओं को परिवीक्षा से तदर्थ में परिवर्तित कर दिया गया तथा दिनाँक 30 अप्रैल 96 से पहले बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र जमा करने का एक और अवसर दिया गया और याचिकाकर्ता की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 18.4.1996 (आर/9) के आदेश द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ आगे बढ़ा दिया गया कि उसे वर्ष 1996 में अपनी बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी। याचिकाकर्ता दिसंबर, 1996 में बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सका। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नई नियुक्ति आदेश दिनांक 3.2.97 (आर/10) के द्वारा प्रदान की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस आधार पर दायर की है कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि पर आदेश दिनांक 3.2.97 (आर/10) के आदेश के तहत नियुक्ति सशर्त नहीं थी और बी.एड. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विषयाधीन थी। मात्र यह था कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर थी। बी.एड. परीक्षा प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के भीतर जमा करने के

परिणाम का निर्देश एक पूर्व शर्त नहीं था तथा यह पश्चातवर्ती विचार था। नियुक्ति की प्रकृति को परिवीक्षा से तदर्थ में परिवर्तित करना अवैध था क्योंकि नियुक्ति की प्रकृति को बदलने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भले ही याचिकाकर्ता दो वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, क्योंकि नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था।

4. डॉ. शिव नारायण मिश्रा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र दो वर्ष की अवधि के भीतर जमा करने की आवश्यकता पूर्व शर्त नहीं थी, जैसा कि अन्य मामलों में था अर्थात् श्री पी. पाठक, पी.आर.टी. डी.ए.वी. गोवा कोल माइंस शिहभूमि (पश्चिम) के मामले में, उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद बी.एड. डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित वेतनमान, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि व आधिकारिक आवास के आवंटन का हकदार है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव सह विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव उत्तरदाता क्र. 1 से 3 की ओर से उपस्थित ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की नियुक्ति ही यह इंगित करता है कि प्रशिक्षित स्नातक का अर्थ है शिक्षा में स्नातक होना, केवल शिक्षक या बी.एड. डिग्री धारक उम्मीदवार ही प्रशिक्षित स्नातक हैं। नियुक्ति आदेश के कण्डिका 22 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दो सप्ताह के भीतर एम.ए., बी.ए., बी.एड. और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र मूल प्रमाणपत्र छायाप्रतियों सहित जमा करने होंगे और साथ ही पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां भी जमा करनी होंगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि, यह कोई पूर्व शर्त नहीं थी, अभिलेखों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने योग्यता की आवश्यकता को समझते हुए परिवचन दिनांकित 4.9.92 (आर/2) निष्पादित किया था कि वह दो वर्ष के भीतर अर्थात जुलाई 94 से पहले बी.एड.

प्रशिक्षण पूरा कर लेगा। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया है। याचिकाकर्ता ने पहले ही दो वर्ष के भीतर अर्थात् जुलाई 1994 से पहले बी.एड. प्रमाणपत्र प्राप्त करने और जमा करने की प्रत्येक शर्त को स्वीकार कर लिया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह याचिका केवल इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों के साथ नहीं आया है और अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाये रखा जब तक कि उत्तरदातागण द्वारा उनका खुलासा नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता **एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टस् विरूद्ध ओसवाल एग्रो फुरान व अन्य तथा इससे संबंधित मामलों**[1] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास जताया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य आवश्यकता है। अगला यह तर्क दिया गया कि संबंधित डी.ए.वी.विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, संबंधित विषय में/से संबद्धता या उसके समकक्ष स्नातक, शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की संबंधित भाषा में बी.ए. एड. है। उन्होंने आगे यह कहा कि याचिकाकर्ता को दो वर्ष पूरे होने पर आवश्यक योग्यता प्रमाण अर्थात बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर स्थायी नहीं किया गया। तीन वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति को परिवीक्षा से बदलकर तदर्थ कर दिया गया। सामान्य क्रम में, उत्तरदातागण को याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर देनी चाहिए थीं, तथापि, उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई, किंतु तदर्थ आधार पर । बी.एड परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत पश्चात्, याचिकाकर्ता आदेश दिनांक 20.1.97 (पी/13) के द्वारा दिनाँक 9.1.97 से प्रभावी तिथि से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर परिवीक्षा पर पुनः नियुक्त किया गया।

6. उत्तरदाता क्र. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी को उत्तरदाता क्र. 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. मैंने स्वंय उपस्थित याचिकाकर्ता डॉ. शिव नारायण मिश्रा तथा उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. यह सुस्थापित है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार संबंधित विषय में/से संबद्धता या उसके समकक्ष स्नातक, शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की संबंधित भाषा में बी.ए. एड. होना आवश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 1.7.92 (पी/7) के द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति पत्र के कण्डिका 22 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि नियुक्त व्यक्ति (याचिकाकर्ता) को एम.ए., बी.ए., बी.एड. और मैट्रिकुलेशन के मूल प्रमाण पत्र छायाप्रतियों के साथ जमा करने थे। इससे यह भी इंगित होता है कि याचिकाकर्ता के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बी.एड. की योग्यता होना अनिवार्य आवश्यकता थी। नियुक्ति आदेश की कण्डिका 11 में सेवा समाप्ति का प्रावधान है। वर्तमान मामले में, चूँकि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् सेवा समाप्त किए जाने के दायित्वाधिन था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने एक परिवचन दाखिल किया जिसमें कहा गया था कि "मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं दो वर्षों के भीतर अर्थात जुलाई 1994 से पहले बी.एड. प्रशिक्षण पूरा कर लूँगा/लूँगी"।

9. याचिकाकर्ता को दिनांक 9.2.96 (पी/9) को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को बी.एड. डिग्री कोर्स पूरा होने तक न तो स्थायी किया जाएगा और न ही वेतन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वृद्धि जारी की जाएगी। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर बी.एड. डिग्री उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था, असफल रहने पर याचिकाकर्ता की सेवाएँ

पत्र जारी होने की तारीख से एक महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएँगी। इसके पश्चात्, आदेश दिनांक 26.2.96 (पी/10) के तहत उन्हें 30 अप्रैल 96 से पहले बी.एड. की डिग्री जमा करने के लिए सूचित किया गया, असफल होने पर उनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता नहीं होगी। याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर डिग्री जमा करने में विफल रहा। तदनुसार, आदेश दिनांक 20.4.96 (पी/11) के द्वारा, क्षेत्रीय निदेशक डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, मध्य प्रदेश (अंचल) की अनुशंसा के आधार पर, याचिकाकर्ता की नियुक्ति समाप्त कर दी गई और एक अति विशेष मामले के रूप में, उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय, याचिकाकर्ता को इस शर्त पर एक वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर कार्य करने की अनुमति दी गई कि वह वर्ष 1996 में बी.एड. प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले। याचिकाकर्ता ने वर्ष् 1996, के दिसंबर में बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तद्नुसार, दिनांक 20.1.97 (पी/13) के आदेश द्वारा परिवीक्षा के आधार पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर एक नया नियुक्ति आदेश पारित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. वर्तमान मामले में कोई गुणागुण नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को अच्छी तरह ज्ञात था कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की अनिवार्य योग्यता बी.एड. परीक्षा प्रमाणपत्र है। याचिकाकर्ता ने एक परिवचन दिया था जिसे उसने अपनी याचिका में छुपाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदातागण ने निर्धारित समय के भीतर बी.एड. परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में चूक किए जाने पर नरम रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय तदर्थ आधार पर नियुक्त किया। आदेश दिनाँक 20.1.97 (पी/13) के तहत उत्तरवर्ती नियुक्ति पूर्णतया वैध व विधिमान्य है। याचिकाकर्ता को दिनाँक 1.7.92 से नियमित नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा

है। इस प्रकार, इस याचिका में याचिकाकर्ता के पक्ष में इच्छित अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार उद्भुत नहीं होता है। याचिका केवल इसी आधार पर खारिज की जा सकती है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों के साथ नहीं आया है। गुण-दोष के आधार पर भी, याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं बनता।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश कुमार अगल बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य**[2] के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

> "2. हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना पदोन्नति के लिए एक शर्त है और चूँकि अपीलार्थी ने दिनाँक 20-9-1981 को परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसे निर्धारित पदोन्नति व वरिष्ठता कथित परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रभाव के साथ से दी गई। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती जिसके लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम.पी. चंदोरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[3] के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

> "5. .... इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, नियुक्ति प्राधिकारी ने यह माना कि उनकी वरिष्ठता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से गिनी जाएगी। नियम 12(a)(ii) स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी परिस्थितियों में, लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता से निम्न स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार देता है। हम

प्राधिकारियों द्वारा, परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने में, किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं पाते हैं।"

13. उपरोक्त दृष्टिकोण को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकिंकर गुप्ता एवं अन्य**[4] के मामले में, तथा **ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[5] के मामले में भी अनुमोदित किया गया है।

14. परिणामस्वरूप, तथा ऊपरोक्त वर्णित कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

श्री सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

----

1 **(1996) 4 SCC 297**

2 **(1996)2SCC70**

3 **(1996)11SCC173**

4 **(2000)10SCC77**

5 **(2005)11 SCC488**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv Vartika

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur